



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत, (पाली)
जिला - पाली
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /23538102879

दिनांक: 26-06-2023

आवेदक का आधार नम्बर : 461213611087

आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 4603384549

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 सुश्री गायत्री पुत्र/पुत्री श्री चन्दनमल , माता का नाम - श्रीमती अयोधिया, राजस्थान राज्य के जिला पाली प्रता- नरसिंहपुरा कॉलोनी, दिल्ली दरवाजा रोड, वार्ड नः - 23, सोजतसिटी, पाली, राजस्थान के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त सुश्री गायत्री राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी. /एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 66 SAD (66 साद) वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
- 03 उक्त सुश्री गायत्री आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7 (8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्यू./डि.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग का मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित हैं। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 230555595773

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अजीम संवर्धन में नियुक्तियां और पदोन्नतियों राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सेंटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत, (पाली)

Signature valid

Digitally signed by GOPAL
JANGIR
Date: 2023.06.26 17:47:31
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



EMEGBS 8963503